

सं.सं. 3-5/2013-ई.सी./2326-2325
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्
श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली-110016
(स्थापना समन्वयन अनुभाग)

दिनांक :03.09.2015

आदेश

परिषद् के दिनांक 13.08.2013 एवं 04.09.2013 के समसंख्यक आदेश के अनुक्रम मे कार्यस्थलों मे महिलाओ के यौन-उत्पीडन से संबद्ध शिकायतों की सुनवाई हेतु शिकायत समिति के निम्नलिखित सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेशों के जारी होने तक जो भी पहले हो बढ़ाया जाता है। डॉ पुष्पा मंडल, सह-आचार्य, डी.ई.ई. जोकि परिषद् की सेवा से दिनांक 30.11.2015 को सेवानिवृत्त हो रही है, उनके स्थान पर डॉ. पुष्पलता वर्मा, सहायक आचार्य, डी.ई.एस.एम. को समिति का सदस्य मनोनित किया गया है :


- | | |
|--|---------------|
| 1. प्रोफेसर पूनम अग्रवाल
प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, आई.आर.डी. | अध्यक्षा |
| 2. प्रोफेसर गौरी श्रीवारस्तव
प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, महिला अध्ययन विभाग | सदस्य |
| 3. डॉ. (श्रीमति) परवीन दमिजा
निदेशक/वैज्ञानिक 'एफ'
खंड-14, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स
लोदी रोड़, नई दिल्ली - 110003 | सदस्य (बाह्य) |
| 4. श्री अशोक अग्रवाल
एडवोकेट, 483, खंड-
लॉयर्स चैम्बर, दिल्ली हाई कोर्ट, नई दिल्ली | सदस्य (बाह्य) |
| 5. डॉ. पुष्पलता वर्मा
सहायक आचार्य, डी.ई.एस.एम. | सदस्य |
| 6. डॉ. गुलफाम
सहायक आचार्य, ई.एस.डी. | सदस्य |
| 7. श्रीमति कान्ता केलकर
उप सचिव | सदस्य |
| 8. श्री बलजीत सिंह
उच्च श्रेणी लिपिक, स्थापना-2 अनुभाग | सदस्य |

अवर सचिव (ई.सी.) समिति के सदस्य संयोजक के तौर पर कार्य करेंगे ।

यह शिकायत समिति परिषद् मुख्यालय मे तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों की शिकायतों को स्वीकार/सुनवाई करेगी एवं शिकायतों का समय पर निवारण करने हेतु उचित कदम उठाएगी ।

समिति वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों और उन पर की गई कारवाई की वार्षिक रिपोर्ट स्थापना समन्वय अनुभाग को 31 जनवरी तक प्रस्तुत करेगी। सदस्य संयोजक, समिति का समन्वय करने के साथ-साथ सचिवालयी सहायता प्रदान करेंगे।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(शिव सिंह बिष्ट)
अवर सचिव

समिति के सभी सदस्य
प्रति:

1. एन.आई.ई. के सभी विभागों/एककों/ प्रकोष्ठों के अध्यक्ष
2. मुख्य लेखाधिकारी, एन.सी.ई.आर.टी.
3. सभी प्रभागीय अध्यक्ष, सतर्कता एवं सुरक्षा अधिकारी और जन संपर्क अधिकारी, एन.सी.ई.आर.टी.
4. उपा सचिव, सी आई ई टी

323/3/15
15/9/15